



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt of India)



क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office
पंचदीप भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर-302001
Panchdeep Bhawan, Bhawani Singh Road, Jaipur-302001
Phone: 0141-2989581 E-mail: rd-rajasthan@esic.gov.in
Website: esic.gov.in

क्रमांक – A-33015/14/2022-M.A. (43747)

दिनांक :10-04-2026

वर्ष 2026 का कार्यालय आदेश संख्या 13 (ई.)
Office Order No. 13 (E.) of the year 2026

क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी द्वारा राजस्थान क्षेत्र में पैरामेडिकल संवर्ग में डीपीसी कोटे की रिक्तियों को भरने के लिए दिनांक 24.03.2026 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के उपरान्त, निम्नलिखित कार्मिकों के लेवल-5 [29,200-92,300] में नियमित आधार पर उनके नाम के सम्मुख वर्णित पद पर पदोन्नति के आदेश प्रदान किये हैं :-

The Regional Director (I/C) has ordered the promotion of following officials to the post mentioned in Column 4 on Regular basis in the pay scale of Level-5 [29,200-92,300] as per 7th CPC, after accepting the recommendations of the DPC meeting held on 24.03.2026.

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पद व तैनाती स्थान	पदोन्नत पद व तैनाती स्थान
1	श्री अखिलेश्वर अटल (125271)	ई.सी.जी. तकनीशियन, क.रा.बी.नि. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अलवर	वरिष्ठ ई.सी.जी. तकनीशियन, क.रा.बी.नि. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अलवर

उक्त वर्णित कार्मिकों की नियमित पदोन्नति, पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी । नियमित पदोन्नति पर कार्मिकों का वेतन एफआर 22(I)(a)(1) के प्रावधानों के अनुसार लेवल-5 [29,200-92,300] में निर्धारित किया जाएगा एवं वेतन निर्धारण के लिए कार्मिक अपना विकल्प पत्र इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि में प्रस्तुत कर सकते हैं । एक माह के बाद प्रस्तुत विकल्प पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

Regular promotion of aforesaid employees will take effect from the date of assumption of charge to the promoted post. The pay on regular promotion will be fixed in Level-5 [29,200-92,300] as per the provisions of FR22(1)(a)(1) and the employees will exercise their options for fixation of pay within one month from the date of issue of this order. Option submitted after one month will not be considered.

तथापि, यदि कोई कर्मचारी ACP/MACP योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के रूप में उपर्युक्त ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड अथवा उच्चतर वेतन के अनुरूप संशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो वे उसी संशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल में ही रहेंगे तथा उनके मामले में पदोन्नति पर किसी वेतन निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी ।

However, if any employee is drawing pay in the Revised Pay Matrix Level corresponding to the pay band or higher pay including the above mentioned grade pay as financial upgradation under ACP/MACP Scheme, he/she will continue to be in the same Revised Pay Matrix Level and in their case no pay fixation will be necessary on promotion.

क्रम संख्या 1 पर वर्णित कर्मचारियों के तैनाती स्टेशन में कोई परिवर्तन नहीं है। अतः उन्हें ज्वाइनिंग समय एवं स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।

There is no change in the place of posting of the employees mentioned at S.N.1. Hence joining time and transfer grant etc. will not be payable to them.

उक्त वर्णित कर्मचारियों की उक्त वर्णित पद पर नियमित पदोन्नति कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी वृन्द एवं सेवा शर्तें) विनियम, 2023 एवं यथा संशोधित नियमों के अनुसार शासित होगी।

Regular promotion of the said employees to the post mentioned above will be governed by the Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulations, 2023 and rules as amended.

उक्त वर्णित कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति स्वीकार/अस्वीकार करने की सूचना दिनांक 17.04.2026 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जावे।

The above mentioned employees should ensure to submit the information regarding acceptance/forego of promotion by 17.04.2026.

उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि "Those officials who decline the offer of promotion will not be considered for regular promotion for a period of one year from the date of refusal or till a next vacancy arises whichever is later as per para 17.12 of DOPT OM dt 10.04.1989 and will also be passed over resulting in loss of seniority, and the other officials promoted on regular basis prior to the dates of their next promotion to the cadre of Sr. ECG Technician will become senior to them."

ज्वाइनिंग रिपोर्ट की प्रति दिनांक 20.04.2026 तक प्रशासन शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

Joining report(s) may be sent to Administration Branch, Regional Office, Jaipur in any case no later than 20.04.2026.

(गजेन्द्र सिंह)
उप निदेशक (प्रशा.)
कृते क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित कर्मचारी को उसके नियंत्रणाधीन अधिकारी के माध्यम से ।
2. आँचलिक चिकित्सा आयुक्त (पश्चिम क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद ।
3. समस्त डीन/चिकित्सा अधीक्षक, क. रा. बी. नि. मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, राजस्थान क्षेत्र ।
4. समस्त चिकित्सा अधिकारी(प्रभारी), डीसीबीओ, राजस्थान क्षेत्र ।
- 5.. निजी सचिव कक्ष, क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर ।
6. सचिव, एसिक पैरामेडिकल स्टाफ यूनियन, राजस्थान क्षेत्र, जयपुर ।
7. सहायक (सतर्कता/रिकॉर्ड/वरिष्ठता सूची), प्रशासन शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर ।
8. व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाईल ।